

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-56/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

विभागीय पत्रांक- 244(3), दिनांक- 07.05.2024 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में डा० स्वेता सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र), अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना के दिनांक-04 05 2024 से 11 05 2024 तक कुल 8 (आठ) दिन विदेश (इंडोनेशिया) प्रवास में बितायी गयी अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं वित्त (वै० दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1703(25), दिनांक-24.09.2024 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-56/2024- 90(2) पटना, दिनांक 20/01/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० स्वेता सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र), अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव